19/04/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की प्रस्तुत वाद एवं पत्रावली, पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी इत्यादि दस्तावेजात के अवलोकन व मनन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजीयात विधिवत विभाजित नहीं है एवं वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक भाग पर प्रत्येक पक्षकार/काश्तकार का समान अधिकार है, अतः विवादित उक्त भूमि के किसी भाग विशेष के लिए अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा या अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं है।

अतः प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर पत्रावली एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
साँभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.24 16:17:38 IST
Reason: SelfAttested